न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व अपील संख्या : 03/2021 Gems No. 2021/62
दायरा तिथि : 23.03.2021
आदेश तिथि: 7-4-2022

अपीलान्ट :–
परबतसिंह पुत्र भैरूसिंहजी जाति राजपुत
निवासी पांचलवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–
1. भंवरसिंह पुत्र परबतसिंहजी
2. नरपतसिंह पुत्र परबतसिंहजी
3. श्यामकंवर पुत्री परबतसिंहजी जाति राजपुत
   निवासी पांचलवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. रतनकंवर पुत्री परबतसिंहजी पत्नि ईश्वरसिंह पुत्र अमरसिंहजी जाति राजपुत
   निवासी कुरणा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–
1. श्री गणपतलाल चौधरी..... अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. श्री भरत जे. राठौड ..... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 04 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक : 7-4-2022

अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 21.02.2012 को ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा स्वीकृत किया गया)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट ने उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व रेस्पोडेन्टस प्रस्तुत कर अपीलान्ट की पत्नि स्व0 फूलकंवर द्वारा धारित की जा रही भूमि ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 96 रकबा 3.16 हैक्टर के सबंध में फूलकंवर के देहान्त के पश्चात् दाखिल एवं स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 21.02.2012 विधिक प्रावधानो के विपरित होने से ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा दिनांक 21.02.2012 को स्वीकृत विवादास्प्रद नामान्तरकरण को निरस्त कर अपीलान्ट का नाम भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के साथ अपीलाधीन भूमि ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 96 रकबा 3.16 हैक्टर में दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील में निम्न आधार बताये गयेः–

1. कि नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरूद्व एवं तथ्यो के विरूद्व भरा जाने के कारण काबिल खारिज हैं।
2. कि नामान्तरकरण जैर अपील भरने के पूर्व पटवारी हल्का, पांचलवाडा ने स्वर्गीय श्रीमति फूलकंवर जोजे परबतसिंह के वारिसान बाबत् कोई जांच नहीं की गई न ही स्व0 श्रीमति फूलकंवर जोजे परबतसिंह के वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया न ही स्व. श्रीमति फूलकंवर जोजे परबतसिंह के बाद उनका कोई सजरा बनाया गया। इस कारण नामान्तरकरण जैर अपील काबिज खारिज हैं।
3. कि नामान्तरकरण जैर अपील भरते समय पटवारी हल्का ने बिना किसी आधार के श्रीमति फूलकंवर जोजे परबतसिंह के वारिसान के रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगाय 04 का नाम दर्ज किया लेकिन यह नाम किस आधार पर दर्ज किया इसका कोई इन्द्राज नामान्तरकरण जैर अपील में दर्ज नहीं किया एवं जांच हेत भू0 अभिलेख निरीक्षक खुडाला के पास भेजने के बाद उनका यह कर्तव्य हैं कि स्वर्गीय श्रीमति फूलकंवर जोजे परबतसिंह के वारिसान बाबत् जांच करते लेकिन जॉच नहीं की ओर नामान्तरकरण जैर अपील को ग्राम पंचायत गुडालास की साधारण सभा में पेश करने हेतु भेज दिया और ग्राम पंचायत द्वारा बोर्ड की मीटिंग में नामान्तरकरण पर कोई जांच नहीं हुई अगर जांच हुई होती तो यह अवश्य खुलासा होता कि स्व. श्रीमति फूलकंवर जोले परबतसिंह के पति अपीलान्ट परबतसिंह जिन्दा हैं जिस कारण उसका भी नाम उत्तराधिकारी के रूप मे अवश्य दर्ज किया जाता लेकिन ऐसा नहीं कर नामान्तरकरण बिना किसी जॉच के स्वीकृत कर दिया है। जो नामान्तरकरण जैर अपील काबिज खारिज हैं।
4. कि नामान्तरकरण जैर अपील एक सोची समझी साजिश के तहत भरा गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही दी गई और रेस्पोडेन्टस ने बाले बाले राजस्व कर्मचारीयो से मिलावट कर एवं ग्राम पंचायत के उप सरपंच के भी हस्ताक्षर करवा दिये लेकिन उप सरपंच को यह भलीभांती जानकारी थी कि स्व. श्रीमति फूलकंवर के पति अपीलान्ट परबतसिंह जिन्दा है बावजूद इसके उप सरपंच ने एवं ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत मिटिंग में प्रस्ताव के जरिये स्वीकृत करने की स्वीकृति दी हैं जो प्रारम्भ से ही शून्य यानि **Void ab intio Void** है, जिस कारण नामान्तरकरण जैर अपील विधि विधान के विरूद्व होने से काबिल खारिज हैं।
5. कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 में हिन्दु नारी की निर्ववसीयत मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के साधारण नियम (क) में स्पष्ट वर्णित हैं कि **प्रथमः पुत्रों और पुत्रियों(जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं) और पति को** उसकी सम्पति जायेगी।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 03/2021 Gcms No. 2021/62
अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 21.02.2012 को ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा स्वीकृत किया गया)

6. इस प्रकार श्रीमति फूलकंवर पत्नि परबतसिंह की मृत्यु होने पर मृतक के पुत्र व पुत्रियो के साथ मृतका के पति यानि अपीलान्ट का भी रेस्पोडेन्टस संख्या 01 लगाय 04 के बहिस्सा बराबर अधिकार आता हैं इस प्रकार अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण जैर अपील में रेस्पोडेन्टस के साथ दर्ज नहीं कर नामान्तरकरण जैर अपील भरा गया है जो विधि विधान के विरूद्व होने से काबिल खारिज हैं।
7. कि अपीलान्ट की पत्नि की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण जैर अपील कब भरा गया इसके बारे में अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट वृद्व व्यक्ति हैं तथा विश्व–व्यापी महामारी कोविड 19 के कारण बाहर कम जाता था। आज से करीब पन्द्र दिन पुर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलान्ट को धमकी दी कि वह वादग्रस्त भूमि से अपीलान्ट को बेदखल कर देगा क्योंकि अब भूमि में अपीलान्ट का नाम नहीं हैं इस पर अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय बाली आकर रेकर्ड की नकलो का प्रार्थना पत्र तारीख 08.03.2021 को पेश किया जो नकले अपीलान्ट को तारीख 16.03.2021 को प्राप्त हुई जिसका अवलोकन किया तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को यह जानकारी हुई कि अपीलान्ट का नाम फौतेदगी नामान्तरकरण जैर अपील में दर्ज नहीं किया गया। जिस कारण नकल अपीलान्ट को प्राप्त होते ही अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण को अपने अधिवक्ता को बताया जिससे उन्होंने अपील तैयार की व अपील बिना किसी दरी के पेश की गई। इस प्रकार नामान्तरकरण जैर अपील प्रारम्भ से ही शून्य था जिसमें कानूनन मयाद मायने नहीं रखती हैं लेकिन बावजुद इसके अपीलान्ट की और से धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 26.7.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 04 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत करने से धारा –05 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के जवाब के पश्चात् धारा–05 लिमिटेशन पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। उभय पक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात् दिनांक 29.09.2021 को धारा–05 लिमिटेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रकरण को मूल अपील की बहस के लिये नियत किया गया।

दिनांक 21.03.2022 को उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील अपीलान्ट श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा 15 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कर दलील दी गई कि धारा–15 में हिन्दू नारी की निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के सारण नियम (क) के स्पष्ट वर्णित हैं कि **प्रथमः पुत्रों और पुत्रीयो (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी है) और पति को उसकी सम्पति जायेगी।** इस प्रकार उक्त अपील में श्रीमति फुलकंवर पत्नि परबतसिंह की मृत्यु होने से मृतक के पुत्र व पुत्रीयों के साथ मृतका के पति यानि अपीलान्ट का भी रेस्पोडेन्टस संख्या एक लगाय चार के साथ बहिस्सा बराबर अधिकार आता है, परन्तु विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 21.02.2012 से मृतका फुलकंवर द्वारा धारित की जा रही कृषि भूमि ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 96 रकबा 3.16 हैक्टर में मृतका के पुत्र एवं पुत्रियो रेस्पोन्टस संख्या 01 लगाय 04 का नाम ही दर्ज किया गया, एवं अपीलान्ट का नाम नहीं दर्ज किया गया, जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा–15 में वर्णित प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन होने से विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 408 प्रारम्भ से ही शून्य यानि **Void ab intio Void** होने से विवादास्प्रद नामान्तरकरण को निरस्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के साथ बहिस्सा बराबर का हकदार मानते हुये नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील अपीलान्ट श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गये:–

1. आर.आर.डी. 1996 पेज 457 से 458
2. आर.आर.टी. 2007(1) पेज 43 से 45 पैरा–06 **जिसके अनुसार–** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 230 प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद भूमि प्रथम श्रेणी के वारिसान में नामान्तरित होनी चाहिये– माता का नाम दर्ज नहीं किया और केवल पुत्र का नाम दर्ज किया– ऐसा दस्तावेज प्रारम्भतः शून्य हैं एवं कानून की नजर में अकृत है और जब न्यायालय की जानकारी में आने पर अपास्त होने योग्य हैं– नामान्तरकरण अपास्त किया तथा "एम" द्वारा पश्चात्वर्ती विक्रय शून्य घोषित किया तथा अपास्त किया।

विद्वान् वकील रेस्पोडेन्ट्स श्री भरत जे. राठौड ने बहस में वकील अपीलान्ट की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी गई कि अपीलान्ट स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नहीं आया है, मृतका फुलकंवर व अपीलान्ट के मध्य तलाक (विवाह विच्छेद) हो चुका था, जिससे पटवारी हल्का, द्वारा रेस्पोडेन्टस के नाम दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव संख्या 05 के द्वारा स्वीकृत किया गया। यदि अपीलान्ट सही होता तो इतनी लम्बी अवधि के बाद उक्त अपील प्रस्तुत नहीं करता। जिससे अपीलान्ट की अपील को खारिज किये जाने की दलील दी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा इसका खण्डन कर दलील दी कि यदि विवाह विच्छेद का कोई दस्तावेज है, तो वकील रेस्पोडेन्टस पेश करे। बहस समायत के पश्चात् आदेश हेतु लंबित रहते वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा विवाह विच्छेद का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

पेज लगातार.....03

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली,जिला-पाली (रा

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 03/2021 Gems No. 2021/62
अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 21.02.2012 को ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा स्वीकृत किया गया)

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 408 की प्रति के अवलोकन से यह प्रमाणित हैं कि फुलकंवर जोजे परबतसिंह के देहान्त के पश्चात् उसके द्वारा धारित की जा रही कृषि भूमि ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 96 रकबा 3.16 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 का नाम ही दर्ज किया गया एवं अपीलान्ट जो कि स्व0 फुलकंवर का पति है, इसका नाम उक्त नामान्तरकरण से वर्णित भूमि में दर्ज नहीं किया गया। जबकि इस सबंध में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 में उल्लेखित प्रावधानो के अवलोकन से यह ज्ञात हैं कि **धारा–15 में हिन्दू नारी की निर्वसीयत मृत्यु** होने पर उसके उत्तराधिकार सारण नियम (क) में वर्णित प्रावधानो के अनुसार– **प्रथमः पुत्रों और पुत्रीयों (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी है) और पति को उसकी सम्पति जायेगी।** इस प्रकार यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि हिन्दु नारी की निर्ववीयत मृत्यु होने पर पुत्र पुत्रियो के साथ पति भी बराबर का हकदार है। विद्वान् वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी उद्धहरण भी हस्तगत् प्रकरण पर सटीक है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा तलाक अथवा विवाह विच्छेद का कोई दस्तावेजी साक्ष्य आदिनांक तक पेश नहीं किया गया, जिससे रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता की बहस के दौरान् उठाई गई आपत्ति खारिज की जाती है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पांचलवाडा का विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 408 स्वीकृत दिनांक 21.02.2012 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाली को निर्देशित किया जाता हैं कि नामान्तरकरण निरस्त के पश्चात् फुलकंवर पत्नि परबतसिंह के वारिशान के तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के साथ अपीलान्ट के नाम भी बहिस्सा बराबर का नामान्तरकरण वर्णित भूमि ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 96 रकबा 3.16 हैक्टर में नये सिरे दर्ज किये जाने की कार्यवाही कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे। आदेश प्रति मय नामान्तरकरण संख्या 408 की मूल प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

((सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 7-4-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner